पत्रांक–3/आ0वि0 (विविध)–02–18/2013/ 308
बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति विभाग।

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/
सभी अधीक्षक, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति छात्रावास/
सभी प्राधानाध्यापक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति
आवासीय विद्यालय, बिहार।

पटना, दिनांक 29 जनवरी, 2015

विषयः– अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालयों में सामग्रियों की आपूर्त्ति करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक–2714 दिनांक–18.11.2013, पत्रांक–2911 दिनांक 20.12.2013, पत्रांक–25 दिनांक 04.01.2014 तथा पत्रांक–235 दिनांक 03.02.2014 के द्वारा विभिन्न सामग्रियों की आपूर्त्ति आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में करने का निदेश दिया गया था।

2. इस संबंध में कतिपय स्रोतों द्वारा अधोहस्ताक्षरी को जानकारी प्राप्त हुयी है कि उपरोक्त निदेश के बावजूद कई जिलों में स्टेशनरी आदि सामग्रियों का कय अपने स्तर से बिना किसी गुणवत्ता के किया जा रहा है। दिनांक 15.12.2014 को सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आपूर्त्तिकर्त्ताओं द्वारा पूर्व के दर एवं गुणवत्ता के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 में सामग्रियों की आपूर्त्ति करने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की गयी है।

3. सत्र 2015–16, के लिए वर्ग 6–12 तक के छात्र–छात्राओं को निर्धारित दर पर ही उसी गुणवत्ता का ब्लेजर, ट्रेक सूट आदि के आपूर्त्ति किये जाने पर इसका भुगतान विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA) मद की राशि से जिलों को आवंटन देते हुए किया जाएगा।

4. जिन आपूर्त्तिकर्त्ताओं के द्वारा समयानुसार आवासीय विद्यालयों में सामानों की आपूर्त्ति की गयी है। यदि वे चाहें तो उसी दर एवं गुणवत्तापूर्ण सामग्रियों की आपूर्त्ति करने हेतु लिखित सूचना विभाग तथा संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी को देते हुए आगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सामग्रियों की आपूर्त्ति करेंगे।

5. उपरोक्त कंडिका–4 के आलोक में उपर्युक्त सभी आपूर्त्तिकर्त्ताओं को निदेश दिया जाता है कि वे माह अप्रील, 2015 तक अपना स्टॉक तैयार कर लें ताकि ससमय छात्र–छात्राओं को सामग्री प्राप्त हो सके।

6. निदेश दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में यदि कोई सामग्री आवासीय विद्यालय के छात्र–छात्राओं को दिया जाना है तो उसे तुरन्त आपूर्त्ति कर दें।

7. विभागीय पत्रांक पत्रांक–2714 दिनांक–18.11.2013, पत्रांक–2911 दिनांक 20.12.2013, पत्रांक–25 दिनांक 04.01.2014 तथा पत्रांक–235 दिनांक 03.02.2014 में सामग्रियों की गुणवत्ता एवं दर पर सामग्री आपूर्ति करने एवं प्राप्ति के पश्चात् तदनुसार एक सप्ताह के अन्दर भुगतान किया जायेगा।

7. इस संबंध में पूर्व में सामग्रियों की आपूर्त्ति हेतु दिये गये दिशा–निदेश यथावत् लागू होगा।

विश्वास भाजन,

(एस0 एम0 राजू)
सरकार के सचिव। 28/1/15

ज्ञापांक–308 /पटना, दिनांक– 29 जनवरी, 2015

प्रतिलिपि, मे0 आर्मी एण्ड सिविल स्टोर, पटना/मे0 के0डी0 इन्टरप्राइजेज, पटना/मे0 दुगा प्रिन्टिंग वकर्स,पटना/मे0 श्री गणेश, मुजफ्फरपुर/मे0 विजय स्टील फर्निचर, पटना/कोलकाता/मे0 वेरायटी व्यापार प्रा0लि0, पटना/कोलकाता/मे0 बाबा बैद्यनाथ ट्रेडर्स, फारबिसगंज/माननीय मुख्य (अन0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण) मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।
28/1/15